



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र०क० निगरानी

/2018 जिला-रीवा



न्यायालय के अंदर

टिक्का 8/8/18

अंग्रेजी नुसार त्रिवेदी का निवासीगण लक्ष्मणबाग फाटक के पास
1 वे दुके विलापिता और रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा मोप्र०

द्वारा आज दि १४.५.२०१८ पर प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क देतु
दिनांक ६-६-१८ निवत।

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी-3232/2018/रीवा/क्र.रं

(54)

1-संजीव कुमार पाण्डेय पिता केशव प्रसाद

2-बलबसम गौतम विता बृजेन्द्र प्रसाद

3-चन्द्रमणि तिवारी पिता मिठाईलाल तिवारी

4-इन्द्रमणि तिवारी पिता चन्द्र मणि तिवारी

5-बसंतमणि तिवारी पिता चन्द्रमणि तिवारी

—आवेदकगण

विरुद्ध

1-मो प्र० शासन द्वारा कलेक्टर महोदय

जिला-रीवा मो प्र०

2-संजीव बुजार पाण्डेय पिता ज्ञानेश्वर

—अनावदक

3-वस्तिवस्थ गात्र पिता बृजेन्द्र पुर्णाम

निगरानी आवेदन पत्र मोप्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के
अन्तर्गत विरुद्ध आदेश दिनांक 14.5.2018 पारित द्वारा कलेक्टर जिला
रीवा के प्रकरण क्रमांक 02/अ-74/स्व०निगरानी/2017-18.

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

1- यह कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के डब्ल्यू० पी० क्रमांक 3596 / 2016 में पारित आदेश दिनांक 14.7.16 द्वारा आदेशित किया है कि the collector shall take action within period of six months and submit a report to this court जिसके पालन में कार्यपालन अधिकारी लक्ष्मण बाग संस्थान रीवा ने पत्र क्रमांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - Q-3232/2018/रीवा/भू.रा.

जिला - रीवा

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	
३१/८/१९	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी.....बुलेटर..... रीवा.....के प्रकरण क्रमांकQ-3232/रीवा/भू.रा......परित आदेश दिनांक/४०५-१८.....के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा.....को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक...१०-१०-१९.....को आयुक्त रीवा.....संभाग.....के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश घन्द चौधरी) सदस्य</p> 	